राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3386 / 2021

विरेन्द्र कुमार मित्तल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान
3. अधिक्षक, नवीन चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज परिसर, कोटा
4. रीना पांचाल, नर्स ग्रेड–2, सामुदायिक स्वा. केन्द्र खतौनी, कोटा

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 25.08.2021
आदेश दिनांक : 17.10.2022

उपस्थितः–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री रितेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.08.2021 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2021 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी जो कि नर्स–द्वितीय के पद पर कार्यरत है, का स्थानांतरण नवीन चिकित्सालय कोटा से सा.स्वा. केन्द्र खातोली ईटावा, कोटा में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक है और आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (आंतरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के नियम के 8(iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। उनका तर्क है कि नियम 8(iii) के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की अनुमति आवश्यक है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने पंचायती राज विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है। उनका तर्क है कि अपील

में दिनांक 07.09.2021 को माननीय अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी की हद तक स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखा था एवं अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखने का आदेश दिया था। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया है और निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है जो निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि स्थानांतरण आदेश में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 11.01.2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 22.11.2021 को चिकित्सा मंत्री को पंचायती राज विभाग के तहत कार्यरत चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के संबंध में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ऐसे में आलोच्य आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी वर्ष 1998 से वर्तमान स्थान पर कार्यरत है एवं काफी लंबे समय पश्चात् उसका स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। इसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है, जिसे खारिज किया जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी वर्ष 1998 से वर्तमान स्थान पर पदस्थापित है एवं प्रशासनिक कारणों से उसका स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है। अतः अपील को खारिज किया जावे।

5. हमनें उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.09.2021 पारित कर यह आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह आलोच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने S.B.Civil

Writ Petition No. 2140/2007 titled Brijendra Singh Meena V/s State of Rajasthan में निम्न निर्णय पारित किया है:–

> *"Instant Writ petition has been filed by the petitioner assailing the order dated 02.02.2007 pursuant to which he was transferred.*
>
> *While issuing notices, operation of the order impugned (supra) was stayed by the Court as evident from the order sheet dated 02.04.2007 pursuant thereto the petitioner must have been allowed to continue at the place where he was posted prior to passing of the order impugned.*
>
> *On account of change in circumstances, if at all there was any justification to transfer the petitioner in the interest of administration, by passage of time, may not exist any further and this court considers it appropriate to observe that the order impugned (supra) may not be given effect to any further but it will not preclude the respondents from passing fresh order transferring the petitioner in the interest of administration, if required.*
>
> *With these directions/observations, the writ petition stands disposed of."*

7. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अपील में वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.08.2021 को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश को पारित हुए एक वर्ष का समय पूरा हो चुका है। इसके पश्चात् अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.09.2021 को पारित हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है। ऐसे में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित किये गये अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.09.2021 को सम्पुष्ट (Confirm) किया जाकर अपील का निस्तारण किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में लोकहित व प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नवीन आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)